न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 49/2020(2020/00123) दिनांक 08.06.2020
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

शंकरलाल आत्मज बक्षु जाट निवासी सुण्डा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

देवीलाल आत्मज चम्पा जाट निवासी सुण्डा का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थीः श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
विपक्षीः अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 06.09.2021

प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मेलुणीखेड़ा पटवार हल्का मेलुणीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 640 रकबा 0.04 हे0 कृषि भूमि खाता संख्या 598 पर स्थित है।

यह कि उक्त भूमि के चारो तरफ नगरपालिका गंगापुर की भूमियां है। विपक्षी देवीलाल हमेश प्रार्थी के साथ सीमा विवाद करने लगा और उसने नगरपालिका की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया और मुझ प्रार्थी की आराजी के पुर्वी तरफ मेरी आराजी के कुछ हिस्से पर मुझ प्रार्थी को कहता हैं कि यह तो मेरी है मैने नगरपालिका से ले रखी है, और जमीन नगरपालिका की है। मुझ प्रार्थी ने दिनांक 20.12.2018 को इस विवाद को समाप्त करने की नियत से पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 134/2018 है और उसमें दिनांक 06.05.2019 को निर्णय होकर पत्थरगढ़ी का आदेश हुआ।

यह कि जैसे ही पत्थरगढ़ी के आदेश की जानकारी विपक्षी को हुई कि उसने दिनांक 10.05.2019 को पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना होने से पूर्व ही मुझ प्रार्थी की आराजी की पूर्वी तरफ कच्चे पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी। दिनांक 20.03.2020 को पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना हुई और उसमें प्रार्थी के ख[illegible] संख्या 640 के पूर्वी भाग पर विपक्षी का कब्जा पाया। पत्थरगढ़ी होने पर प्रार्थी ने [illegible] कहा कि अब सच्चाई सामने आ गई है तुम अपनी दिवार हटा लो तो विपक्षी [illegible] कि कच्ची दिवार के पत्थरों को मैं उठा लूंगा लेकिन उसने कच्ची [illegible] और मुझ प्रार्थी के ख[illegible] अधिकार की भूमि के पूर्वी भाग पर कच्ची दिवार बना कर ब[illegible] कब्जा कर रखा हैं [illegible] विपक्षी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक हो गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.16 15:30:15 IST
Reason: SelfAttested

Raj

प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और यदि विपक्षी प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 640 रकबा 0.04 हे0 में किसी प्रकार की कोई नाजायज दखलदांजी करेगा या विपक्षी के अवैध कब्जे शुदा भाग पर विपक्षी ने किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण करवा देगा तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति का आंकलन नकदी में नहीं किया जा सकेगा तथा दरम्यान पक्षकारान आपस में कई तरह के विवाद उत्पन्न हो जावेंगे। जिससे प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया हैं

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि विपक्षी ग्राम मेलुणीखेड़ा पटवार हल्का मेलुणीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 640 रकबा 0.04 हे0 भूमि पर किसी प्रकार की कोई नाजायद दखलदांजी न तो स्वयं करे तथा न किसी अन्य से करावें तथा विपक्षी के अवैघ कब्जेशुदा भाग में विपक्षी किसी प्रकार का कोई कच्चा / पक्का निर्माण न तो स्वयं करें न अन्य से करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.06.2020 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी अनुपस्थित जिसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार हैः–

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी द्वारा कच्ची दिवार बना रखी है जिससे अगर विपक्षी पक्का निर्माण कर देता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि वाद वर्णित आराजियात प्रार्थी की है जो पत्थरगढ़ी से साबित हुई है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– विपक्षी पक्का निर्माण करता हैं तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षती का सामना [illegible] के मध्य अनेक प्रकार के वाद विवाद बढ़ जायेंगे। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना [illegible] बरदस्ती निर्माण करवा देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु [illegible] प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.16 15:30:15 IST
Reason: SelfAttested